POLICY OF MAINTANENCE OF THE COLLEGE

जैसा कि देखा जा रहा है कि जिला विकास समिति योजना अभी शैशवास्था में है और महाविद्यालय स्तर में उससे उतना लाभ नहीं लिया जा रहा है जितनी शासन की अपेक्षा है।

विशेष टीप : — जनभागीदारी के तहत "महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति" का गठन होने पर जिला विकास समिति का गठन महत्वहीन हो जायेगा।

(आठ) : महाविद्यालयीन विकास समिति :

विद्यार्थी द्वारा विकास शुल्क के रूप में जमा की गयी अशासकीय राशि का उपयोग महाविद्यालय के विकास एवं विद्यार्थियों के हित एवं सुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना है।

विकास समिति के उद्देश्य, सम्मिलित कोष समिति के माध्यम से ही पूरे होते हैं। सम्मिलित कोष समिति की ही बैठक में विकास निधि के उपयोग के लिए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से प्रस्ताव आमंत्रित करना चाहिए। उपलब्ध विकास राशि, जिसकी महाविद्यालय में प्रवेश होने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है, के अनुरूप बजट बनाकर, विकास कार्यों को आरम्भ कर देना चाहिए। विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था, छात्रसंघ कक्ष की सुविधा, शुद्ध पेयजल तथा गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की व्यवस्था शामिल हो सकती है। छोटे-मोटे निर्माण कार्य भी इससे कराए जा सकते हैं। प्रयोगशाला में फर्नीचर, पंखे, नल आदि पर खर्च भी इस मद से किया जा सकता है।

प्राचार्य को इस बात की निगरानी रखनी है कि सभी क्रय शासकीय नियमों के तहत हों और उसका पारदर्शी, आडिट स्तर का लेखा रखा जाए।

समितियों के सम्बन्ध में प्राचार्य को स्पष्ट होना चाहिए कि इनका गठन, उनको सलाह देने और समितियों को सौंपे कार्य के निर्वाह और नियमानुसार संचालन के लिए किया जाता है। प्राचार्य की सहायता के लिए महाविद्यालयों में सामान्यतः गठित की जाने वाली समितियों की सूची आगे दी जा रही है और उनके कार्य से सम्बन्धित शाखा का उल्लेख भी उनके नाम के सामने किया जा रहा है। प्राचार्य इसका उपयोग अपने त्वरित संदर्भ के लिए कर सकते हैं।

सारणी क्रमांक 07

महाविद्यालय में महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन करने वाली समितियों की सूची

क्रमांक (1)	समिति का नाम (2)	संबंधित शाखा (3)
1.	प्राध्यापक मण्डल (स्टाफ काउंसिल)	स्थापना शाखा
2.	अनुशासन समिति	
3.	भवन निर्माण/विस्तार समिति (प्रकोष्ठ)	
4.	महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति	
5.	यू.जी.सी. प्रकोष्ठ	
6.	क्रय समिति	लेखा-क्रय एवं भंडारण शाखा
7.	प्रवेश आवेदन-पत्र एवं विवरणिका मुद्रण समिति	
8.	आन्तरिक लेखा परीक्षण समिति	
9.	भौतिक सत्यापन समिति/ उप समितियां	
10.	अपलेखन समिति	
11.	प्रवेश समितियां	विद्यार्थी एवं छात्रवृत्ति शाखा
12.	समय-सारणी समिति	
13.	छात्रवृत्ति, छात्र सहायता, छात्र मार्गदर्शन समिति	

(1)	(2)	(3)
14.	ग्रंथालय एवं वाचनालय समिति	ग्रंथालय शाखा
15.	क्रीड़ा एवं खेलकूद समिति/ उप-समितियां	क्रीड़ा शाखा
16.	सम्मिलित निधि समिति/ महाविद्यालय विकास समिति	पाठ्येतर गतिविधियां
17.	छात्रसंघ प्रभारी/समिति शाखा	
18.	साहित्यिक गतिविधियां समिति	
19.	सांस्कृतिक गतिविधियां समिति	
20.	स्नेह सम्मेलन संचालन समिति/ उपसमितियां	
21.	सायकल स्टेण्ड समिति	
22.	छात्रावास समिति	
23.	मोनो-मोटो रूपरेखा निर्माण समिति	
24.	रजत/स्वर्ण जयंती समारोह समिति	
25.	महाविद्यालयीन पत्रिका समिति तथा	
26.	यथा आवश्यकतानुसार।	

जनभागीदारी के तहत शासकीय महाविद्यालयों में "स्थानीय प्रबंधन समिति" की कार्यप्रणाली तथा प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्त

[संदर्भ : उच्च शिक्षा विभाग, अधि. क्र. एफ- 73/6/96/सी- 3/38, दिनांक 1-10-1996]

प्रमुख उद्देश्य :

(1) महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना।

(2) विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/बढ़ाना और कन्सलटेन्सी (परामर्श) आदि से धन एकत्रित करना।

(3) इस प्रकार जुटाए गये संसाधनों का उपयोग जन-सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना।

स्वशासी महाविद्यालयों में समिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य होंगे : —

(4) अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण,

(5) शासन के आरक्षण नियमों के अनुरूप प्रवेश नियमों की रचना,

(6) परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की पद्धतियों का विकास करना।

मार्गदर्शक सिद्धांत :—

(1) राज्य शासन, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 (संख्या 44) के प्रावधानों के अतिरिक्त समिति के काम-काज के पुनरावलोकन हेतु किसी एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति जांच-परख के लिए की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की समिति के मामलों की जांच के आधार पर राज्य शासन ऐसी कार्यवाही कर सकता है या ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो आवश्यक समझा जाये। समिति ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(2) महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य शासन आवश्यकतानुसार समिति को निर्देश भी दे सकता है।

(3) समिति की संरचना में मुख्य तीन समितियां होंगी : —

(क) सामान्य परिषद, (ख) प्रबंध समिति, (ग) वित्त समिति ।

इन समितियों का गठन नीति पत्र में वर्णित कार्यविधि द्वारा होगा।

(4) "सामान्य परिषद" सर्वोच्च सभा होगी और समिति की सभी गतिविधियाँ परिषद के निर्देश एवं नियंत्रण में होंगी।

(5) सामान्यतः "सामान्य परिषद" की वर्ष में दो बार बैठक होगी। परन्तु आवश्यक होने पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(6) 'सामान्य परिषद' की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान का स्पष्ट उल्लेख होगा। बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत डाक द्वारा कम-से-कम इक्कीस दिन पहले प्रेषित की जानी चाहिए। किसी विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेंगे।

(7) परिषद की किसी बैठक के लिए अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी परन्तु किसी भी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(8) परिषद की प्रत्येक बैठक, अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में करेंगे।

(9) अध्यक्ष सहित परिषद का प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा। यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बराबर मत प्राप्त होते हैं तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(10) प्रत्येक बैठक के कार्य विवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र, आयुक्त, उच्च शिक्षा को अग्रेषित की जायेगी।

(11) समिति के 'सामान्य परिषद' द्वारा महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी (समिति रजिस्टर) रखी जायेगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता उस रजिस्टर में अंकित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पंजी में उपरोक्त प्रकार के हस्ताक्षर किये बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा।

(12) 'सामान्य परिषद' के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा। यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा।

(13) 'सामान्य परिषद के मनोनीत सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और प्रत्येक मनोनीत सदस्य को पुनर्मनोनयन की पात्रता होगी।

प्रबंध समिति :— इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम-से-कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

स्थानीय प्रबंधन समिति की निधियां : —

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियां;

(2) समस्त शुल्क एवं समिति द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य राशियां;

(3) व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा दिये (क) अनुदान, (ख) उपहार, (ग) दान, (घ) सहायता राशि, (च) वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियां, और (छ) स्वेच्छा से प्रदत्त कोई अन्य राशि।

इन राशियों को अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा और इसका व्यय 'सामान्य परिषद' द्वारा अनुमोदित बजट और प्रबंध समिति द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाए गये उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय के विकास कार्यों में किया जायेगा। सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत आदि के लिए नहीं।

(4) राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियों का व्यय, लेखा संधारण एवं अंकेक्षण शासकीय नियमों के अनुसार होगा।

(5) संस्था की समिति द्वारा प्राप्त राशियों का व्यय, लेखा समिति द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक नियमों के अनुसार होगा और परिषद द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षणों द्वारा अंकेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा। व्यय के लिए विस्तृत एवं स्पष्ट नियम बनाए जायेंगे।

मार्गदर्शक सिद्धांत (विविध) : —

(1) समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी, महाविद्यालय के किसी कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर कार्य संचालन करेगी।

(2) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य सभी शैक्षिणक एवं अशैक्षिणक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा की जायेंगी। भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिये जायेंगे जिनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय होंगी। परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

(3) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय महाविद्यालय को स्वशासी घोषित किये जाने पर उनमें "अकादमिक परिषद" तथा "अध्ययन मंडल" भीं होंगे। "अकादमिक व परिषद" एवं "अध्ययन मंडल", महाविद्यालय के अकादमिक कार्यकलापों में स्वायत्तता एवं अन्य सहायक कार्यों का सम्पादन करेंगे। इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित होगी।

अकादमिक परिषद तथा अध्ययन मंडल की विस्तृत संरचना एवं कार्यप्रणाली के लिए सम्बन्धित मार्गदर्शक सिद्धांतों की सहायता ली जायेगी।

(4) समिति की ओर से एवं समिति के लिए किये गये सभी अनुबंध समिति के सचिव द्वारा, सचिव के नाम पर क्रियान्वित किये जायेंगे। समिति द्वारा अथवा समिति के विरुद्ध सभी वाद या प्रतिवाद समिति के सचिव के नाम पर होंगे।

जनभागीदारी के तहत शासकीय महाविद्यालयों में "स्थानीय प्रबन्धन समिति" की संरचना

[संदर्भ.— म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ज्ञाप क्र. एफ. 73/6/96/सी-3/38, दिनांक 1-10-1996]

क्र.	पदाधिकारी/ सदस्य	सामान्य परिषद	प्रबन्ध समिति	वित्त समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	अध्यक्ष	संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निकाय के सदस्य, विधायक, सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त एक ।	सामान्य परिषद का अध्यक्ष	प्राचार्य
(2)	उपाध्यक्ष	कलेक्टर या उनका प्रतिनिधि।	संभागीय मुख्यालय में जिले के कलेक्टर तथा अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री;	
(3)	सचिव	महाविद्यालय के प्राचार्य।	महाविद्यालय के प्राचार्य;	
(4)	सदस्य (i)	क्षेत्र के सांसद या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति	लोक निर्माण विभाग प्रमुख या उनके द्वारा नामांकित विभाग का अधिकारी; महाविद्यालयों के शिक्षकों में से दो शिक्षक-सदस्य;	बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध-समिति द्वारा दो वर्ष के लिए मनोनीत किया जाएगा.
	(ii)	क्षेत्र के विधायक या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति,		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(iii)	उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संघठन का प्रतिनिधि,	महाविद्यालयों के शिक्षकों में से दो शिक्षक-सदस्य;	दो वर्ष के लिए मनोनीत किया जाएगा।
	(iv)	उद्योग,	सामान्य परिषद का अशासकीय संघठन सदस्य,	प्राचार्य द्वारा पारीक्रम में दो वर्ष के
	(v)	स्थानीय संस्थाओं,	दानदाताओं;	लिए मनोनीत महा-विद्यालय के दो
	(vi)	दानदाताओं,	स्थानीय औद्योगिक संघठन का प्रतिनिधि	वरिष्ठ शिक्षक।
	(vii)	कृषकों, एवं	विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य जो	जिले का कोषाधिकारी या उसके
	(viii)	पोषक शालाओं के एक- एक प्रतिनिधि,	प्राध्यापक स्तर से कम का न हो;	द्वारा मनोनीत अधिकरी जो उप-
	(ix)	अभिभावकों में से दो,	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	कोषालय-अधिकारी के पद से
	(x)	भूतपूर्व विद्यार्थियों में से दो।	द्वारा मनोनीत सदस्य।	नीचे का न हो।
	(xi)	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक वर्ग का एक अभिभावक, यदि उपरोक्त श्रेणी में से न आये हों तो, महिला प्रतिनिधि यदि उपरोक्त श्रेणियों में न आयीं हों,	**टीप** : मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुनः मनोनयन की पात्रता होगी।	
	(xii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य।	(ii) दानदाताओं में से दानदाता-प्रतिनिधि के नामांकन के लिए मापदण्ड : — (क) दस हजार से कम आवादी वाले क्षेत्रों में	रुपये दस हजार से अधिक दान देने वालों में से,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		टीप : (iii) से (xi) तक के सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे	(ख) दस हजार से पचास हजार तक वाले स्थान में	रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से;
			(ग) पचास हजार से एक लाख तक वाले क्षेत्रों में	रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से;
			(घ) एक लाख से अधिक वाले क्षेत्रों में	रुपये एक लाख से अधिक दान देने वालों में से।

जनभागीदारी के तहत शासकीय महाविद्यालयों में "स्थानीय प्रबंधन समिति" के कार्य

[**संदर्भ** : — उच्च शिक्षा विभाग, ज्ञाप, क्र. एफ-73/6/96/सी-3/38, दिनाँक 1-10-1996]

क्र. (1)	सामान्य परिषद (2)	प्रबंध समिति (3)	वित्त समिति (4)
(1)	महाविद्यालय की सामान्य नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण;	संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक वृन्द में अनुशासन लागू करना, किन्तु संस्था में शासकीय सेवकों पर राज्य शासन के नियम लागू होंगे;	प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के व्यय हेतु उपनियमों के प्रारूप बनाना;
(2)	पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पर्यवेक्षण तथा पुनरीक्षण;	महाविद्यालय के वित्तीय प्रबंध का नियंत्रण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उपनियमों का अनुमोदन करना;	वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक-बजट) बनाना;
(3)	विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण;	प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना जो समिति संस्था की निधियों के संदर्भ में उपयुक्त समझे;	यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ से पूर्व सक्षम अधिकारी/ निकाय द्वारा विरचित व अनुमोदित है;
(4)	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियां खोजना;	वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्कों एवं अन्य भुगतानों की सामान्य-परिषद को अनुशंसा करना;	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियंत्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशंसित करना;
(5)	समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना;	संस्था की छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाणपत्रों की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना;	लेखा बहीखातों और तत्सम्बन्धी खातों का अपेक्षित और समुचित रख-रखाव रखना;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6)		समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना;	दान तथा विन्यास को स्वीकार करना;	वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं अंकेक्षकों को अग्रेषित करना;
(7)		प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियां, अध्येता वृत्तियां, अध्ययन-वृत्तियाँ, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण-पत्रों को संस्थित करना;	सामान्य परिषद के कार्य संपादन में सहायक होना; तथा	अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियां अंकित कर प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना;
(8)		आगामी वर्ष के लिए संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण;	संस्था के हित में अन्य उद्देश्यों एवं आवश्यक कार्यों का सम्पादन।	सामान्य परिषद के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना; एवं
(9)		यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना;	—	ऐसे सभी प्रस्तावों का परीक्षण व अनुशंसन, जो पद रचना, पूंजी एवं अन्य व्यय की स्वीकृति से सम्बन्धित हों ।
(10)		महाविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करना।	—	—

जनभागीदारी के तहत शासकीय महाविद्यालयों में "स्थानीय प्रबंधन समिति" के अन्तर्गत 'अकादमिक परिषद' एवं 'अध्ययन मंडल' की संरचना, कार्य एवं कार्यप्रणाली

[संदर्भ.— उच्च शिक्षा विभाग, अधि. क्र. एफ-73/6/96/सी-3/38/ दिनांक 1-10-1996]

क्र.	शीर्ष	अकादमिक परिषद	अध्ययन मण्डल
(क)	संरचना अध्यक्ष	प्राचार्य	सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठतम प्राध्यापक
1	सदस्य	महाविद्यालय के सभी विभागों के वरिष्ठतम प्राध्यापक	विभाग के प्रत्येक विशेषज्ञता का एक शिक्षक;

(1)		(2)	(3)	(4)
2		शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शिक्षक, जिनका मनोनयन प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सेवा की वरिष्ठता के आधार पर पारीक्रमा में किया जायेगा		अकादमिक परिषद द्वारा मनोनीत विषय के दो विशेषज्ञ जो महाविद्यालय के बाहर के हों;
3		प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत महाविद्यालय से बाहर से कम से कम चार विशेषज्ञ जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों		प्राचार्य द्वारा अनुशंसित छह व्यक्तियों के पैनल में से कुलपति द्वारा मनोनीत एक विशेषज्ञ। यह पैनल संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा;
4		विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि		जब भी अध्ययन के विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाना हो, अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य की सहमति से नामांकित महाविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ।
5	सचिव	प्राचार्य द्वारा मनोनीत सदस्य सचिव		संकाय के अन्य शिक्षकवृन्द
(ख)	**पदावधि**	मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी		मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।
(ग)	**बैठकें**	प्राचार्य वर्ष में कम-से-कम एक बार 'अकादमिक परिषद' की बैठक बुलाएगा।		विभिन्न विभागों के अध्ययन मंडलों की बैठकों का कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी की सकेगी। परन्तु वर्ष में कम-से-कम एक बैठक अवश्य होगी।
(घ)	**कार्य**	(i)	(i) अकादमिक परिषद को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजन से महाविद्यालय के उद्देश्यों एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण;	अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना तथा यथावत अथवा किन्हीं परिवर्तनों के साथ अनुमोदन करना। जहाँ कहीं अकादमिक परिषद किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो ऐसे प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए संबंधित अध्ययन मण्डल को लौटाने या कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार है;
		(ii)	महाविद्यालयों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित	(ii) नवोन्मेषकारी शिक्षण पद्धतियाँ

(1)	(2)	(3)	(4)
(iii)	परीक्षाओं के संचालन के लिए उपनियम बनाना.		(iii) अकादमिक परिषद को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु नामों के पैनल प्रस्तावित करना; तथा
(iv)	महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा छात्रों के मार्गदर्शक कार्यक्रमों में सुधार प्रक्रिया की पहल करना;		(iv) शोध, अध्यापन, विस्तार तथा विभाग/महाविद्यालय की अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्वयन।
(v)	खेलकूद तथा पाठ्येतर गतिविधियों, खेलकूद के मैदानों के उचित रख-रखाव एवं छात्रावास के संचालन के लिए उपनियम बनाना ;		
(vi)	प्रबंध समिति को अध्ययन के नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव लागू करने के लिए अनुशंसा प्रेषित करना;		(vii) प्रबंध समिति को छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पारितोषकों एवं पदकों की अनुशंसा करना एवं पदकों की अनुशंसा करना एवं उन्हें प्रदान करने के लिए उपनियम बनाना;
(viii)	समिति को अकादमिक कार्यकलापों के विषय में परामर्श देना; एवं		(ix) कार्यसमिति द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों का संपादन करना।

नोट : (1) अधिक विवरण के लिए शासन के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

(2) यह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू होगी।

स्थापना शाखा